



भारत सरकार

कार्यालय आयकर आयुक्त (छूट), पटना

द्वितीय तल, केन्द्रीय राजस्व भवन, वीरचंद पटेल मार्ग, पटना- 800001.

दूरभाष सं०-फैक्स : - 0612-2504103 ए ई.पी.वी.एस. 0612-2504020-22, 2504024-25, 2504580-83 (Ext.-209)

आ दे श

दिनांक, पटना, 16th March, 2015

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12AA के तहत आदेश

Marwari Health Society, Lal Nursing Home Campus, Saidpur, Patna- 800004 (PAN-AADAM5534D) संस्था/न्यास ने आयकर अधिनियम 1961 की उपर्युक्त धारा के तहत निबंधन हेतु अपना आवेदन विहित प्रपत्र में दिनांक **17.10.2014** को अपने संविधान दिनांक **04.09.2014** की प्रतिलिपि के साथ समर्पित किया था।

अतः इस संस्था/न्यास का पंजीकरण धारा 12A(2) के अन्तर्गत, निर्धारण वर्ष **2014-15** से प्रभावी होगा, की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इस कार्यालय में धारा 12AA के अधीन रखे गये आवेदन पत्र की पंजी में इस आवेदन की **AADAM5534D /13/14-15/A-0036** संख्या में प्रविष्टि कर दिया गया है।

यदि भविष्य में यह पाया जाता है कि संस्था/न्यास के क्रिया-कलाप उसके उद्देश्यों से भिन्न अथवा असंगत है अथवा संस्था/न्यास के क्रिया-कलाप प्रमाणिक नहीं रहे तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12AA(3) के अन्तर्गत उक्त पंजीकरण को रद्द किया जा सकता है।

ह./-

(अनुराधा मुखर्जी)
आयकर आयुक्त (छूट),
पटना

सं०सं०- आ.आ.(छूट)/पटना/तकनीकी/12AA/आवेदन/08(295)/2014-15/
दिनांक, पटना, 16th March, 2015

प्रतिलिपि सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1. Marwari Health Society, Lal Nursing Home Campus, Saidpur, Patna- 800004.**
- संयुक्त आयकर आयुक्त, परिक्षेत्र-छूट, पटना
- उप/सहायक आयकर आयुक्त (छूट), अंचल-छूट, पटना
- आयकर अधिकारी (छूट), वार्ड-9, पटना .



(कौशल कुमार)
आयकर अधिकारी (छूट),
कृते:- आयकर आयुक्त (छूट), पटना